[2021] 3 एस 0 सी0 आर 0 278

सुरेश कुमार

बनाम

हरियाणा राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील क्रमांक–1076/2021)

पीठ :– न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति आर 0 सुभाष रेड्डी

संदर्भित न्यायदृष्टांत –

[2013] 1 एस 0 सी0 आर 1 संदर्भित कंडिका क्रमांक–20

व्यवहार अपीलीय अधिकारिता :– व्यवहार अपील क्रमांक–1076/2021, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के सी0 डब्ल्यू0 पी0–13496/2009 (ओ 0 एम 0) में घोषित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27–07–2020 से उद्धृत, साथ में व्यवहार अपील क्रमांक–1077/2021 एवं 1078/2021.

पक्षकारों के लिए उपस्थित हो रहे अधिवक्तागण – निखिल गोयल, ए 0 ए 0 जी0, श्याम दीवान, पी0 एस 0 पटवालिया, गुरमिंदर सिंह, पी0 एस 0 नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप दहिया, महिमा बेनीपुरी, देवाशीष भारुका, अशोक के0 महाजन, गौतम अवस्थी, गुरूर संधु, देवांशु यादव, नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, विनय मैथ्यू, डाक्टर मोनिका गुसैन, सिंदुरा वी0 एन 0 एल 0, सुनील गुलिया, राहुल गुप्ता.

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा परिदत्त किया गया–

01. अनुमति प्रदान की गई।

02. ये तीन अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 27.07.2020 के सामान्य फैसले के खिलाफ संस्थित की गई हैं, जिसमें सिविल रिट याचिका क्रमांक–13496/2009 को खारिज कर दिया गया था, जो अपीलकर्ताओं द्वारा पहली दो अपीलों में संस्थित की गई थी। तीसरी अपील, संदीप कुमार और एक अन्य दो अपीलकर्ताओं द्वारा संस्थित अपील है, जो सिविल रिट याचिका क्रमांक–13496/2009 में हस्तक्षेपकर्ता थे। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने आलोच्य निर्णय द्वारा सभी उत्तरवादी क्रमांक 04 से 34 तक, जो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, की पदोन्नति आदेशों को बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

03. इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए प्रकरण के आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

हरियाणा राज्य के पुलिस बल में नियुक्ति और पदोन्नति पंजाब पुलिस नियम, 1934 द्वारा शासित होती है। 2001 से पहले हरियाणा राज्य में, पुलिस उप–निरीक्षकों के 100% पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे। नियम 12.3 को दिनांक 24.12.2001 की अधिसूचना द्वारा नियम 12.3 को प्रतिस्थापित करके नियम 12.3 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित किया गया था:

> "12.3, निरीक्षकों और उप–निरीक्षकों की सीधी नियुक्ति – नियम 12.1 और 12.4 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, पुलिस निरीक्षक और उप–निरीक्षक के पद को छोड़कर सीधी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इंस्पेक्टर और उप–निरीक्षक के पद पर ऐसी नियुक्ति क्रमशः अधिकतम दस प्रतिशत और पचास प्रतिशत पदों तक की जा सकती है।

04. उप–निरीक्षक के पद पर पहली सीधी भर्ती वर्ष 2003 में आयोजित की गई थी, जिसमें तीनों रिट याचिकाकर्ताओं, ओम प्रकाश, सुदीप कुमार सिंह और सुरेश कुमार को उप–निरीक्षक के रूप में सीधी भर्ती के लिए अनुशंसित किया गया था। सभी रिट याचिकाकर्ता मई, 2003 में उप–निरीक्षक के रूप में शामिल हुए। इन अपीलों के निजी उत्तरदातागण को, जिन्हें रिट याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 04 से 34 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जून, 2003 और मार्च, 2004 के बीच सहायक उप–निरीक्षक से उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, अर्थात याचिकाकर्तागण भर्ती हो गये, उसके बाद। उत्तरदातागण को

आदेश दिनांक 27.11.2008, 18.05.2009 एवं 13.08.2009 द्वारा निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया। उपर्युक्त पदोन्नति आदेशों से व्यथित रिट याचिकाकर्तागण ने सिविल रिट याचिका क्रमांक–13496/2009 संस्थित कर निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की:

"i) मामलों के अभिलेख आहूत किये जाने के लिए परमादेश रिट जारी करना।

ii) आदेश दिनांक 27.11.2008 (अनुलग्नक–पी–8), आदेश दिनांक 18.05.2009 (अनुलग्नक–पी–9) और आदेश दिनांक 13.08.2009 (अनुलग्नक–पी–10), जिससे निजी उत्तरदातागण को पुलिस निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया गया है; को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करें।

iii) पुष्टिकरण आदेश दिनांक 30.06.2009 (अनुलग्नक पी–2), आदेश दिनांक 15.06.2009 (अनुलग्नक पी–3) और आदेश दिनांक 30.06.2009 (अनुलग्नक पी–4) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करें;

iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन में होने के कारण पंजाब पुलिस नियमों के नियम 12.2, 12.8 और 13.18 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करें।

v) एक परमादेश रिट जारी करें, जिसमें आधिकारिक उत्तरदातागण को निजी उत्तरदातागण की पदोन्नति की तारीख से याचिकाकर्ता को निरीक्षक के रूप में विचार करने और पदोन्नत करने के निर्देश दिये जायें और सभी पारिणाममिक अनुतोष जैसे कि निरीक्षक के पद पर वरिष्ठता, वेतन का निर्धारण, बकाया वेतन का 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान आदि आदि प्रदान करने का निर्देश आधिकारिक उत्तरदातागण को दिया जाए।

vi) जारी किये जाने योग्य कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

05. रिट याचिका का राज्य और निजी उत्तरदाताओं दोनों ने विरोध किया था। राज्य की ओर से दलील दी गई कि उप–निरीक्षक से इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति की पात्रता आठ साल की सेवा है, जिसमें से पांच साल की सेवा उप–निरीक्षक के रूप में होनी चाहिए, किसी भी रिट याचिकाकर्ता के पास आठ साल की सेवा नहीं थी। अतः वे पात्र नहीं होने के कारण पदोन्नत नहीं किये गये। रिट याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2011 में पदोन्नत किया गया था जब उन्होंने अपनी सेवा के आठ साल पूरे कर लिए थे। राज्य ने नियमों की वैधता का बचाव किया और तर्क दिया कि नियम न तो मनमाने थे और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते थे। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में निम्नलिखित दो मुद्दों पर विचार किया:

"(i) क्या नियम 13.14(2) इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार हेतु पात्रता मानदंड निर्धारित करता है?

(ii) यदि नियम 13.14 (2) लागू है, तो क्या आठ साल के अनुभव की शर्तें मनमानी और भेदभावपूर्ण हैं और इसलिए संविधान के अनुच्छेद–16 के उल्लंघन में होने के कारण इसे रद्द करना आवश्यक है?

06. उच्च न्यायालय ने पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह धारित किया कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 का नियम 13.14(2) इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया कि इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए आठ साल के अनुभव की आवश्यकता न तो मनमानी है और न ही भेदभावपूर्ण है। निष्कर्ष दर्ज करने के बाद, रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ताओं ने पहली दो अपीलें संस्थित की हैं और अंतिम अपील हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा संस्थित की गई है।

07. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पीएस पटवालिया और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना है। श्री गुरमिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, निजी उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री निखिल गोयल, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित हुए।

08. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता उप–निरीक्षक के कैडर में निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ थे, और उत्तरदाताओं को उप–निरीक्षक के रूप में पदोन्नत करने से पहले उन्हें सीधे भर्ती किया जा रहा था। वरिष्ठ होने के नाते वे इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के हकदार थे क्योंकि उन्होंने उप–निरीक्षक के रूप में पांच साल का अनुभव भी पूरा कर लिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने नियम 13.14 पर गलत भरोसा किया है जो नियम उप–निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए लागू नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उप–निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए लागू नियम नियम, 1934 के नियम 13.1, 13.15 और 13.16 हैं। नियम 13.14 ऐसी स्थिति को आच्छादित करता है जहां एक उप–निरीक्षक को चयन ग्रेड उप–निरीक्षक में पदोन्नत किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अपने आदेश दिनांक 29.04.1987 द्वारा सभी समूह बी, सी और डी पदों में चयन ग्रेड को समाप्त कर दिया है। उप–निरीक्षक ग्रुप–सी पद होने के कारण 29.04.1987 के बाद किसी भी उप–निरीक्षक के चयन ग्रेड में पदोन्नति का कोई सवाल ही नहीं था। वास्तव में, नियम 13.14 की प्रयोज्यता का दावा करने के लिए किसी भी निजी उत्तरदाता को चयन ग्रेड में पदोन्नत नहीं किंया गया था। चयन मानदड नियम 13 और नियम 13.15 के उप–नियम (1) में निहित है। नियम 13.15 का उप–नियम (4) पात्रता से संबंधित नहीं है बल्कि यह परस्पर वरिष्ठता से संबंधित है। हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित और अन्य रैंक) सेवा नियम, 2017 अब परिशिष्ट बी के साथ पढ़े गए नियम 7 द्वारा प्रदान करता है कि इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए उप–निरीक्षक के रूप में पांच साल की सेवा आवश्यक है। वर्ष 2017 के नियम की स्थिति स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा आठ साल की योग्यता अवधि की आवश्यकता वाले निर्मिति को पराजित कर देती है।

09. हरियाणा राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री निखिल गोयल का कहना है कि इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए हमेशा आठ साल की सेवा की आवश्यकता रही है। 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद से और 1987 में चयन ग्रेड समाप्त होने के बाद भी उक्त मानदंड का पालन किया जा रहा है। इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए आठ साल की सेवा की आवश्यकता 1934 के नियम 13.14 को नियम 13.15(4) के साथ संयुक्त रुप से पढने से स्पष्ट है कि 1934 के नियम 13.14 को कभी भी रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई, बल्कि यह केवल नियम 12.2, 12.8 और 13.18 के अधिकार को चुनौती दी गई थी। नियम, 2017 पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो निजी उत्तरदातागण की पदोन्नति के नौ साल बाद अधिसूचित किए गए हैं। नियम 13.14 निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों की योजना का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। नियम 13.14 के बिना कोई भी लिस्ट एफ नहीं हो सकती और बिना लिस्ट एफ के इंस्पेक्टर पद पर कोई प्रमोशन नहीं हो सकता. चयन ग्रेड पदोन्नति पैमाने की प्रकृति में हैं। इसलिए, चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रदान किए गए मानदंड को आगे की पदोन्नति के लिए मानदंड के रूप में लिया जा सकता है। एक उप–निरीक्षक के लिए आठ साल की सेवा की आवश्यकता और औचित्य एक निरीक्षक की उच्च जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। नियम, 1934 की राज्य द्वारा हमेशा इसी प्रकार व्याख्या की गई है और 2017 में नए नियम लागू होने तक सभी पदोन्नतियाँ प्रभावित हुई।

10. निजी उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने भी श्री निखिल गोयल द्वारा उठाई गई दलीलों को अपनाया कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीएस नरसिम्हा भी निजी उत्तरदातागण के लिए उपस्थित हुए हैं। हालाँकि, उनका कहना है कि वह रिट याचिकाकर्तागण और निजी उत्तरदातागण के बीच आपसी विवाद से प्रभावित नहीं हैं। उनका कहना है कि उनके मुवक्किलों को पहले ही पुलिस उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है।

12. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

13. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से इन अपीलों में विचार के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न उठते हैं: –

(i) क्या हरियाणा राज्य द्वारा ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारीगण को चयन ग्रेड प्रदान करने को वापस लेने का शासन का आदेश दिनांक 29–04–1987 जारी होने के बाद पंजाब पुलिस नियम, 1934 में परिकल्पित उपनिरीक्षक से निरीक्षक के पद पर चयन ग्रेड में पदोन्नति का तरीका निरर्थक हो गया?

(ii) क्या पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 13.14, जो विभिन्न चयन ग्रेडों में पदोन्नति पर विचार करते हैं, को एक उप–निरीक्षक को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति और कम से कम आठ साल की मंजूरी की आवश्यकता पर विचार करते समय ध्यान नहीं दिया जा सकता है। क्या ऊपरी अधीनस्थ के रूप में सेवा अब सीधी भर्ती वाले उप–निरीक्षकों की पदोन्नति के लिए आकर्षित नहीं होगी?

14. इससे पहले कि हम संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करें, हमें उप–निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों पर गौर करना होगा। वैधानिक नियम पंजाब पुलिस नियम, 1934 हैं। अपीलकर्ता का मामला यह है कि उप–निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए केवल लागू नियम, केवल नियम 1934 के नियम 13.1, 13.15 और 13.16 हैं। हमें उपरोक्त नियमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:–

"13.1. एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति. – (1) एक रैंक से दूसरे रैंक में और एक ही रैंक में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। दक्षता और ईमानदारी चयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक होंगे। विशिष्ट योग्यताएं, चाहे उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रकृति की हों या व्यावहारिक अनुभव की, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। जब दो अधिकारियों की योग्यताएं समान हों तो वरिष्ठ को पदोन्नत किया जाएगा। यह नियम समय–मान के भीतर वेतन वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है।

(2) पुलिस बल के वर्तमान संविधान के तहत किसी भी निचले अधीनस्थ को सामान्य तौर पर अन्वेषण के स्वतंत्र संचालन या पुलिस स्टेशन या इसी तरह की इकाई का स्वतंत्र प्रभार नहीं सौंपा जाएगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि उच्च अधीनस्थ रैंक की जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए आवश्यक गुण रखने वाले सुशिक्षित आरक्षकगण को त्वरित पदोन्नति मिलनी चाहिए ताकि वे आरक्षक एवं प्रधान–आरक्षक पद के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने और परीक्षित होने और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने के बाद जल्द ही उस रैंक तक पहुंच सकें।

(3) नामांकित पुलिस अधिकारियों के बीच पदोन्नति को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए छह पदोन्नति सूचियाँ – ए, बी, सी, डी, ई, और एफ बनाए रखी जाएंगी।

नियम 13.6, 13.7, 13.8 और 13.9 में निर्धारित अनुसार प्रत्येक जिले में ए, बी, सी और डी सूची बनाए रखी जाएगी और कांस्टेबलों के चयन ग्रेड और हेड कांस्टेबल और सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित किया जाएगा। उप–नियम 13.10(1) में निर्धारित अनुसार सूची ई उप–महानिरीक्षक के कार्यालय में रखी जाएगी और उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित करेगी। सूची एफ को उप–नियम 13.15(1) में निर्धारित अनुसार महानिरीक्षक के कार्यालय में रखा जाएगा और यह निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित करेगा।

ए, बी, सी, डी या ई सूची में प्रवेश या हटाने को आदेश–पुस्तिका और संबंधित पुलिस अधिकारी के चरित्र रोल में दर्ज किया जाएगा। ये सूचियाँ उन अधिकारियों की नाममात्र सूचियाँ हैं जिनका इनमें प्रवेश प्राधिकृत किया गया है। चरित्र पंजिका की सावधानीपूर्वक जांच के बिना कोई भी वास्तविक चयन नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसी पांच प्रतिशत पदोन्नतियां पुलिस बल के उन सदस्यों में से की जा सकें, जो अखिल भारतीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट विशिष्टता हासिल करते हैं, यदि वे वरिष्ठता के अलावा पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हैं।

13.15. सूची एफ – निरीक्षकों को पदोन्नति। – (1) निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले सार्जेंट और उप–निरीक्षकों की ओर से सिफारिशें प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को फॉर्म 13.15(1) में पुलिस अधीक्षकों द्वारा उप–महानिरीक्षक को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएंगी।). सरकारी रेलवे पुलिस में कार्यरत सार्जेंट और उप–निरीक्षकों की ओर से सिफारिशें सहायक महानिरीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सीधे पुलिस महानिरीक्षक को उसी रूप में भेजी जाएंगी और प्रत्येक वर्ष में बाद माह अक्टूबर नहीं। उप–महानिरीक्षक अनुशंसित अधिकारियों को देखने के बाद, और उनके रिकॉर्ड और उनके बारे में अपने ज्ञान पर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे कि क्या पुलिस अधीक्षकों की सिफारिशों का समर्थन किया जाए और उन्हें महानिरीक्षक को भेजा जाए। वह इस प्रकार अग्रेषित किसी भी सिफ़ारिश की एक प्रति अधिकारी की व्यक्तिगत फ़ाइल में रखेगा; यदि वह किसी सिफ़ारिश का समर्थन नहीं करने का निर्णय लेता है, तो वह मूल प्रति को अधिकारी की व्यक्तिगत फ़ाइल में रखेगा और उस पर अपने आदेश की एक प्रति संबंधित अधीक्षक को भेजेगा। जैसे ही वे अनुशंसित अधिकारियों की उपयुक्तता से संतुष्ट हो जाएंगे, उप महानिरीक्षक अंततः महानिरीक्षक को सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे, लेकिन किसी भी मामले में प्रत्येक वर्ष बाद माह अक्टूबर नहीं।

(2) ऐसे अनुशंसित अधिकारियों को, जिन्हें महानिरीक्षक उपयुक्त समझे, पदोन्नति सूची 'एफ' (फॉर्म 13.15(2)) में शामिल किया जाएगा, जिसे हालांकि प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उप महानिरीक्षक को सूचित किया जाएगा, और किया जाएगा। बदले में संबंधित अधीक्षकों को उन लोगों के नाम सूचित करें जिन्हें सूची में शामिल किया गया है; इसी तरह की जानकारी सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस को भेजी जाएगी।

सूची में शामिल उप–निरीक्षकों की मूल व्यक्तिगत फाइलों को उप–महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यालय में रखने के लिए डुप्लिकेट तैयार करने के बाद, नियम 13.38(1) की आवश्यकतानुसार, महानिरीक्षक को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सूची में शामिल सार्जेंट और उप–निरीक्षक दोनों के संबंध में फॉर्म 13.17 में तैयार की गई सभी बाद की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां, नियम 13.17(1) के अनुसार महानिरीक्षक द्वारा लौटाए जाने पर, उप–महानिरीक्षक द्वारा या सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, संबंधित अधिकारियों की डुप्लिकेट व्यक्तिगत फाइलों के साथ दर्ज की जायेगी। वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के अलावा व्यक्तिगत फाइलों में बनाई जाने वाली सभी प्रविष्टियों की प्रतियां मूल व्यक्तिगत फाइलों के साथ अभिलेख के लिए बनाते ही महानिरीक्षक को भेज दी जाएंगी; ऐसी सभी प्रतियां उप–महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित की जाएंगी।

(3) सूची एफ में नए नामों की प्रविष्टि के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करते समय, उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस, उसी समय पहले से ही सूची में शामिल अधिकारियों को बनाए रखने या हटाने के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे (जिनके साथ विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है) इन सिफारिशों के प्राप्त होने पर, महानिरीक्षक प्रांतीय सूची की समीक्षा करेंगे, और नामों को बनाए रखने या बाहर करने के संबंध में आदेश पारित करेंगे, साथ ही अपने निर्णय को उप–महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस को सूचित करेंगे।

(4) सूची 'एफ' में भर्ती किए गए उप–निरीक्षकों को चयन ग्रेड में स्थायी पदोन्नति की तारीख के अनुसार उस सूची में रखा जाएगा, और, यदि दो के मामले में चयन ग्रेड में स्थायी पदोन्नति की तारीख समान है या अधिक उप–निरीक्षकों को एक और एक ही तिथि पर सूची 'एफ' में प्रवेश दिया जाता है, फिर समय–मान में स्थायी पदोन्नति की तिथि के अनुसार। सूची में प्रवेश की तिथि के अनुसार सार्जेंट को सूची 'एफ' में दिखाया जाएगा। हालाँकि, जब दो या दो से अधिक सार्जेंटों को एक ही तिथि पर सूची 'एफ' में शामिल किया जाता है, तो उनके नाम आपस में वरिष्ठता के क्रम में दिखाए जाएंगे।

13.16. इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति. – (1) इंस्पेक्टर रैंक में महत्वपूर्ण रिक्तियां, उन रिक्तियों को छोड़कर जो विशेष रूप से परिवीक्षाधीनों की नियुक्ति के लिए नामित हैं, नियम 13.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार चयनित सूची एफ से अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी। सार्जेंट यूरोपीय निरीक्षकों के लिए आरक्षित नियुक्तियों में पदोन्नति के पात्र हैं।

(2) इंस्पेक्टर रैंक में अस्थायी रिक्तियां नियुक्ति करने के लिए नियम 13.4 द्वारा सशक्त अधिकारियों द्वारा एफ सूची के अधिकारियों की स्थानापन्न पदोन्नति से भरी जाएंगी। ऐसी स्थानापन्न पदोन्नतियाँ ई सूची के मामले में उप–नियम 13.12(1) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की जाएंगी, और उस नियम का दूसरा भाग, यथोचित परिवर्तनों के साथ, एफ सूची अधिकारियों के काम की जांच को नियंत्रित करेगा, और उन लोगों के नाम उस सूची से हटा दिए जाएंगे जो इंस्पेक्टर पद के लिए अयोग्य पाए जाएंगे।

(3) कोई भी अधिकारी जिसका नाम एफ सूची में नहीं है, महानिरीक्षक की विशेष मंजूरी के बिना निरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब रिक्ति के लिए रेंज में एफ सूची का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है, जिसे भरना उप–महानिरीक्षक को आवश्यक है, तो किसी अन्य रेंज से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए महानिरीक्षक को आवेदन किया जाएगा।

15. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने नियम 13.14 पर भरोसा किया, जिसका निम्नलिखित प्रभाव है: –

"13.14. उप–निरीक्षकों के चयन ग्रेड में पदोन्नति। – (1) उप–निरीक्षकों के विभिन्न चयन ग्रेडों में पदोन्नति पुलिस अधीक्षकों और सहायक अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाएगी, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों की स्वीकृत स्थापना में रिक्तियां नियम 13.1 में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार होती हैं। .

(2) किसी भी उप–निरीक्षक को तब तक चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास ऊपरी अधीनस्थ के रूप में कम से कम आठ साल की अनुमोदित सेवा न हो, जिसमें से कम से कम पांच उप–निरीक्षक के पद पर हों, और जब तक वह प्रथम श्रेणी महत्व के पुलिस स्टेशन का प्रभार संभालने के लिए पूरी तरह से कुशल और सक्षम नहीं है। कोई भी उप–निरीक्षक जिसे कटौती, वेतन वृद्धि रोकने या वेतन वृद्धि के लिए अनुमोदित सेवा को जब्त करने से दंडित किया गया हो, चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा। इस नियम के अपवाद केवल विशिष्ट सेवा और अनुकरणीय आचरण की मान्यता में महानिरीक्षक की मंजूरी से किए जा सकते हैं।

(3) चतुर्थ चयन ग्रेड में पदोन्नत उप–निरीक्षक एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और यदि वे आचरण और दक्षता के एक अनुकरणीय मानक को बनाए रखने में विफल रहते हैं तो उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या समाप्ति पर औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बिना उन्हें वापस भेजा जा सकता है।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी मामले में परिवीक्षा की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष तक बढ़ा सकता है और परिवीक्षा की विस्तारित अवधि की समाप्ति के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह परिवीक्षा की मूल अवधि के दौरान या समाप्ति पर पारित कर सकता था।"

16. अब हम हरियाणा राज्य द्वारा जारी दिनांक 29.04.1987 के सरकारी आदेश को देख सकते हैं, जो राज्य सरकार के निर्णय को सूचित करता है कि चयन ग्रेड की वर्तमान प्रणाली, जो "समूह बी, सी और

डी के कर्मचारिगण के लिए अस्तित्व में है, को बंद कर दिया गया"। दिनांक 29.04.1987 के शासन के आदेश का प्रभाव यह था कि चयन ग्रेड का दावा करने के लिए उप–निरीक्षक या समूह–सी से संबंधित किसी भी पुलिस कर्मी का कोई अधिकार नहीं था। वैधानिक नियम 13.1 में प्रावधान है कि एक रैंक से दूसरे रैंक और एक ही रैंक में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। "विशिष्ट योग्यताएं चाहे उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रकृति की हों या व्यावहारिक अनुभव की, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग यह दर्शाता है कि पदोन्नति के लिए योग्यताएं नियम 13.1 में शामिल नहीं हैं और उन्हें नियम 13.1 के अन्य भाग से पता लगाना होगा। नियम 13.1, एक रैंक से दूसरे रैंक और एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड, दोनों पदोन्नतियों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार, नियम 13.1 ग्रेड के भीतर और एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति को नियंत्रित करता है। नियम 13.14 में शीर्षक "उप–निरीक्षकों के चयन ग्रेड में और उनमें पदोन्नति" शामिल है। नियम 13.14(2) में प्रावधान है कि किसी भी उप–निरीक्षक को तब तक चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास ऊपरी अधीनस्थ के रूप में कम से कम आठ साल की अनुमोदित सेवा न हो, जिसमें से पांच साल उप–निरीक्षक के पद पर रहे हों। अब, नियम 13.15 पर आते हैं जो "सूची एफ–निरीक्षकों को पदोन्नति" से संबंधित है, नियम 13.15(1) प्रपत्र 13.15(1) में पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को उप महानिरीक्षक को, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले उप–निरीक्षकों की ओर से उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सिफारिशों से संबंधित है।

17. नियम 13.15(4) में प्रावधान है कि सूची 'एफ' में भर्ती किए गए उप–निरीक्षकों को चयन ग्रेड में उनकी स्थायी पदोन्नति की तिथि के अनुसार उस सूची में रखा जाएगा। इस प्रकार, चयन ग्रेड में स्थायी पदोन्नति की तारीख वह मानदंड है जिसका निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए पालन किया जाना आवश्यक था और जैसा कि नियम 13.14(2) के अनुसार आवश्यक है, किसी भी उप–निरीक्षक को चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम आठ वर्ष, ऊपरी अधीनस्थ के रूप में वर्षों की अनुमोदित सेवा ना हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष उप–निरीक्षक के पद पर रहे हों।

18. इस प्रकार, एक उप–निरीक्षक के चयन ग्रेड में पदोन्नति एक उप–निरीक्षक का नाम सूची 'एफ' में शामिल करने की पूर्व शर्त थी, जो एक सूची है जिसमें से निरीक्षक को पदोन्नति दी जानी थी। भले ही चयन ग्रेड देने की योजना को राज्य ने अपने सामान्य आदेश दिनांक 29.04.1987 द्वारा समाप्त कर दिया था, 29.04.1987 के बाद भी उप–निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया नियम 13.14(2) की आवश्यकता के आधार पर की गई थी। अर्थात, केवल उन उप–निरीक्षकों के नाम सूची 'एफ' में शामिल किए गए थे जिनके पास अपने कैडर के ऊपरी अधीनस्थ के रूप में आठ साल की अनुमोदित सेवा है। नियमों में निर्धारित पात्रता और मानदंडों का पालन करते हुए नियमों के तहत चयन ग्रेड में पदोन्नति पर विचार किया गया था। उत्तरदातागण का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.04.1987 के सरकारी आदेश द्वारा चयन ग्रेड की योजना वापस लेने के बाद चयन ग्रेड देने के संबंध में सभी वैधानिक प्रावधान निरर्थक हो गए। भले ही 29.04.1987 के बाद पुलिस बल के किसी भी कर्मी को कोई चयन ग्रेड प्रदान नहीं किया जाना था, लेकिन रैंक पदोन्नति के लिए जो मानदंड अपनाए गए थे, उनका पालन राज्य द्वारा अगली रैंक पर पदोन्नति के लिए किया गया था। अध्याय XIII में निहित नियमों को नियमों के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त और सार्थक अध्ययन दिया जाना चाहिए। नियमों ने चयन ग्रेड के अनुदान के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक अधिकारी के मूल्यांकन के लिए एक साधन और तरीका प्रदान किया और उसके बाद अगले रैंक पर अगला कदम उठाया। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए नियमों में मानदंड कि वह चयन ग्रेड देने का हकदार था, चयन ग्रेड वापस लेने के बाद बिना किसी उद्देश्य के निरर्थक नहीं कहा जा सकता है। का अनुदान चयन ग्रेड, जिस रैंक में पुलिस अधिकारी था, वह योग्य अधिकारी को उच्च रैंक पर जाने के लिए एक कदम है। क्या यह तर्क स्वीकार किया जा सकता है कि उप–निरीक्षक से इंस्पेक्टर तक की पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होती रही है? जब किसी उप–निरीक्षक को ग्रेड में अगले उच्च पद, यानी निरीक्षक, पर पदोन्नत करने पर विचार किया जाएगा तो क्या

अनुभव की कोई सीमा नहीं होगी? यदि हम उत्तरदाताओं के वकील की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि नियम 13.14(2) में निहित आवश्यकता अब चयन ग्रेड वापस लेने के बाद लागू नहीं होती है, तो इंस्पेक्टर बनने के लिए किसी भी उप–निरीक्षक को किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी, वैधानिक नियमों का उद्देश्य कभी नहीं था। उप–निरीक्षक से सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए आठ साल की अनुमोदित सेवा पर विचार किया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि पुलिस कर्मियों द्वारा पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया जाए ताकि निरीक्षक के रूप में पदोन्नति पर विचार किया जा सके, जिसे एक पुलिस स्टेशन का प्रबंधन करना है और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करना है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि वैधानिक नियमों में 29.04.1987 के बाद और नियम 12.3 को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 24.12.2001 को अधिसूचना जारी होने के बाद भी कोई संशोधन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष राज्य का मामला यह है कि 29.04.1987 से 2017 तक नियम लागू होने के बाद भी, सीधी और पदोन्नत सहित सभी उप–निरीक्षकों को सूची 'एफ' में उनके नाम शामिल करने के प्रयोजन के लिए ऊपरी अधीनस्थ आठ साल की अनुमोदित सेवा की आवश्यकता पर जोर देकर समान रूप से निपटाया गया था।

19. चयन ग्रेड पदोन्नति पैमाने की प्रकृति में हैं, इसलिए, चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रदान किए गए मानदंड को आगे की पदोन्नति के लिए मानदंड के रूप में लिया जा सकता है जो पदोन्नति को प्रभावित करते समय राज्य द्वारा समान रूप से पालन किए जाने वाले नियमों की भावना है। पुलिस कर्मियों को उच्च रैंक पर उसी या अगली रैंक पर ले जाने के लिए मूल्यांकन करने के लिए नियमों और कार्यप्रणाली के लक्ष्य और उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे केवल इसलिए नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि यह योजना 29.04.1987 को वापस ले ली गई थी। पदोन्नति करते समय नियम 13.14 में दिए गए मानदंडों के आधार पर उप–निरीक्षकों का मूल्यांकन जारी रखने में राज्य द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

20. इस न्यायालय ने बार–बार कहा है कि वैधानिक नियमों की व्याख्या करते समय ऐसी संरचना अपनाई जानी चाहिए जो नियम के इरादे या उद्देश्य को प्रभावी कर सके और ऐसी कोई व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जो नियम को अप्रभावी बना दे। हम गुजरात राज्य और अन्य बनाम न्यायमूर्ति आरए मेहता (सेवानिवृत्त) और अन्य, (2013) 3 एससीसी 1 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जहां इस न्यायालय ने पैराग्राफ 96, 97 और 98 में निम्नलिखित बातें कही हैं:

> "96. वैधानिक निर्माण की प्रक्रिया में, न्यायालय को विधिक कहावत को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की व्याख्या करनी चाहिए जिसका अर्थ है कि किसी चीज का प्रभाव होना बेहतर है बजाय इसके कि उसे शून्य बना दिया जाए, अर्थात विधान को इस तरह से समझा जाना होगा कि उसे व्यवहारिक बनाया जा सके। नोक्स बनाम **डोनकास्टर अमलगमेटेड कोलियरीज लिमिटेड में [1940 एसी 1014: (1940) 3 ऑल ईआर 549 (एचएल)](एसी पृष्ठ 1022)** में विस्काउंट साइमन, एलसी द्वारा कहा गया है: "... यदि विकल्प दो व्याख्याओं के बीच है, तो जिसका संकीर्ण होना कानून के स्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होगा, हमें ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को निरर्थकता में बदल देगा और इसके बजाय इस दृष्टिकोण के आधार पर साहसी निर्माण को स्वीकार करना चाहिए कि संसद केवल प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी।"
>
> 97. इसी प्रकार व्हिटनी बनाम आईआरसी [1926 एसी 37 (एचएल)] (एसी पी 52) में इसे इस प्रकार देखा गया: "... एक क़ानून को व्यावहारिक बनाने के लिए परिकल्पित किया गया है, और न्यायालय द्वारा उसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए, जब तक कि महत्वपूर्ण चूक या स्पष्ट निर्देश उस लक्ष्य को अप्राप्य न बना दे।"
>
> 98. वैधानिक प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव देने के उद्देश्य से उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है, और अदालतों को यह बताना चाहिए कि क़ानून का क्या अर्थ होना चाहिए, बजाय क़ानून को अमान्य करने के, क्योंकि क़ानून क्रियाशील होने के लिए होते हैं और

अयोग्य नहीं. अदालतों को किसी क़ानून को अव्यवहार्य घोषित करने से बचना चाहिए। व्याख्या के नियमों के लिए उस निर्माण की आवश्यकता होती है जो क़ानून के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, पार्टियों के हितों की रक्षा करता है और उपाय को जीवित रखता है, क़ानून के पाठ और संदर्भ को देखते हुए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्माण से क़ानून के उद्देश्य को बढ़ावा मिलना चाहिए और उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है और इसके मूल उद्देश्य को ख़त्म नहीं करना चाहिए। "अदालतें किसी भी ऐसे निर्माण के ख़िलाफ़ दृढ़ता से झुकती हैं, जो किसी विधि की निरर्थकता को कम करने की प्रवृत्ति रखती है। विधि के प्रावधान को इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि इसे प्रभावी और क्रियाशील बनाया जा सके।" न्यायालय को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिए विधि लागू किया गया था क्योंकि विधि का उद्देश्य ही न्यायालय को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करता है क्योंकि वे अधिनियम के सही अर्थ की व्याख्या करते हैं और इस प्रकार विधायी निरर्थकता को खारिज किया जाना चाहिए। एक विधि की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम स्वयं एक मृत पत्र ना बन जाए और विधायिका का स्पष्ट इरादा तब तक पराजित ना हो जब तक कि यह उपयोग में पूर्ण रूप से अघुलनशील स्थिति का कारण ना बने। न्यायालय को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो शरारत को दबाता है और उपचार को आगे बढ़ाता है और "शरारत को जारी रखने के लिए सूक्ष्म युक्तियों, अपवंचन और निजी सुविधा को दबाता है, और विधि निर्माताओं के लोकहित के सच्चे इरादे के अनुसार उपाय और उपचार में बल और जीवन जोड़ता है।" न्यायालय को अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य को प्रभावी करना चाहिए क्योंकि यह माना जाता है कि विधायिका ने एक युक्तियुक्त कानून बनाया है। (विडे एम पेंटैया वि0 मुद्दला वीरमल्लप्पा [एआईआर 1961 एससी 1107], एस 0 पी0 जैन वि0 कृष्ण मोहन गुप्ता [(1987) 1 एससीसी 191: एआईआर 1987 एससी 222], आरबीआई बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड [(1987) 1 एससीसी 424: एआईआर 1987 एससी 1023], तिनसुखिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड वि असम राज्य [(1989) 3 एससीसी 709: एआईआर 1990 एससी 123], एससीसी पृष्ठ 754, पैरा 118, यूको बैंक वि0 राजिंदर लाल कपूर [(2008) 5 एससीसी 257: (2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 263] और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उडीसा लिमिटेड वि0 ईस्टर्न मेटल्स एण्ड फेरो अलॉयज [(2011) 11 एससीसी 334] .)"

21. ऊपर दिए गए वैधानिक नियमों के निर्माण का सिद्धांत पंजाब पुलिस नियम, 1934 की व्याख्या पर लागू होगा। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने नियमों को उस तरीके से समझने में कोई त्रुटि नहीं की जैसा कि किया गया था। उच्च न्यायालय. हम पंजाब पुलिस नियम, 1934 की व्याख्या करने वाले उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। नियमों के अध्याय XIII को संयुक्त रूप से और सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए और जब हम नियम 13.1, 13.14 और 13.15 का अर्थ निकालते हैं, तो हमें राज्य द्वारा ऐसे उपनिरीक्षकों को निरीक्षक के रुप में पदोन्नति करने में कोई त्रुटि नहीं मिलती, जिनकी आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा हो, और कम से कम 05 वर्ष उपनिरीक्षक के रुप में रहा हो। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने निजी उत्तरदातागण की पदोन्नति आदेशों को सही ठहराया है। इन अपीलों में उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपील निरस्त ।

हिंदी रुपांतरणकर्ता–

सही/–
अशोक कुमार लाल,
षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ 0 ग 0